

15/3/25 पंचावली पेशी में ली गयी उभयपक्ष
वजिर, सुना गया। रजिस्ट्रार
दिनांक 21.3.2025 संसोधित
कर वादग्रस्त आराजी में स्थान
आदेश ता. फैसला जारी इस
आशय का किया जाता कि
उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी का
विशिष्ट हिस्सा अर्थात् किले
खोलकर बेचान करने के
निषिद्ध रहेंगे। हिस्से की दफ
तक उभयपक्ष अपना हिस्सा
बेचान करने के लिए स्वतंत्र
रहेंगे। आदेश सुनाया गया।
पंचावली नंबर से कद की
जाकर काबिल बफला की
जानी की

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

